भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 804
(7 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना

804. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा उद्यमिता कार्यकलापों के लिए ओडिशा सहित राज्य-वार कितना आबंटन किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय अथवा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी निकाय ने इन प्रयासों की प्रभावकारिता और प्रभाव का आकलन करने का प्रयास किया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों का कितना प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): बैंकों द्वारा प्रवर्तित 590 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में काम कर रहे हैं ताकि वे स्व-रोजगार इकाइयों/कार्यकलापों को शुरू करके रोजगार प्राप्त कर सकें। यह मंत्रालय संस्थानों को बुनियादी अवसंरचना अनुदान प्रदान करने के अलावा , राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को आरएसईटीआई द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति कर रहा है। शुरूआत से , 31 दिसंबर, 2022 तक कुल

43.79 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 30.99 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।

यह मंत्रालय गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण गरीबों (एसएचजी ईकोसिस्टम से) की सहायता करने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक उप-योजना के रूप में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) भी कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना की प्रचालनात्मक इकाई ब्लॉक है। अनुमोदित निधियों से एक ब्लॉक में अधिकतम 2,400 उद्यमों को सहायता दी जा सकती है। एसवीईपी के तहत एक ब्लॉक के लिए अधिकतम बजट 650.00 लाख रुपये है। अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 2.23 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

(ख): आरएसईटीआई में ग्रामीण गरीब अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत/जारी की गई राज्य-वार निधियां **अनुबंध** में दी गई हैं। एसवीईपी के अंतर्गत स्वीकृत ओडिशा सहित राज्य-वार निधियां भी **अनुबंध** में दी गई है।

(ग): जुलाई 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ रूडसेटी , बेंगलुरु द्वारा "बैंक ऋण प्राप्त कर्ताओं के पुनर्भुगतान व्यवहार पर आरएसईटीआई प्रशिक्षण का प्रभाव" पर एक संक्षिप्त अध्ययन आयोजित किया गया था। प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. आरएसईटीआई से बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण प्रस्तावों में से 85% स्वीकृत किए जा रहे हैं।

ii. आरएसईटीआई प्रशिक्षुओं को दिए गए लगभग 95% ऋणों का नियमित पुनर्भुगतान हो रहा है।

एसवीईपी की मध्यावधि समीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा की गई थी; मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. ब्लॉकों में 82% उद्यमी अ. जा., अ.ज.जा., और अ.पि.व. श्रेणियों से होने की सूचना है।
ii. 75% उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया गया था।
iii. कुल घरेलू आय का 57% एसवीईपी के तहत सहायता प्राप्त उद्यमों के माध्यम से हो रहा है।

(घ) आरएसईटीआई के तहत अब तक 30.99 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। एसवीईपी के तहत, 31 दिसंबर, 2022 तक 2.23 लाख उद्यम स्थापित किए गए हैं।

****

" ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध"

शुरुआत से (31 दिसंबर, 2022 तक) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत निधि और केंद्रीय अंश

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत निधियां (रु. लाख में)	केंद्रीय अंश (रु. लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	4,535.30	2,721.18
2	अरुणाचल प्रदेश	493.92	444.53
3	असम	1,571.57	1,414.41
4	बिहार	6,704.21	4,022.53
5	छतीसगढ़	4,851.17	2,910.70
6	गोवा	596.73	358.04
7	गुजरात	1,617.20	970.32
8	हरियाणा	2,967.90	1,780.74
9	हिमाचल प्रदेश	558.06	502.25
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	2,167.09	1,950.38
11	झारखंड	7,056.03	4,233.62
12	कर्नाटक	1,316.73	790.04
13	केरल	8,626.29	5,175.77
14	मध्य प्रदेश	7,350.52	4,410.31
15	महाराष्ट्र	4,195.00	2,517.00
16	मणिपुर	1,076.78	969.10
17	मेघालय	444.34	399.91
18	मिजोरम	900.03	810.03
19	नागालैंड	1,968.09	1,771.28
20	ओडिशा	6,425.57	3,855.35
21	पंजाब	1,535.04	921.02

22	राजस्थान	3,892.50	2,335.50
23	सिक्किम	463.67	417.39
24	तमिलनाडु	2,178.40	1,307.04
25	तेलंगाना	5,768.12	3,460.87
26	त्रिपुरा	564.21	507.79
27	उत्तर प्रदेश	9,705.19	5,823.11
28	उत्तराखंड	1,928.06	1,735.26
29	पश्चिम बंगाल	8,389.13	5,033.48
	कुल	**99,846.85**	**63,548.95**

टिप्पणी: चूंकि एसवीईपी एक मांग आधारित कार्यकम है , इसलिए आवंटन नहीं किया जाता है

आरएसईटीआई में ग्रामीण गरीब युवाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत/जारी की गई निधि (31 जनवरी, 2023 तक)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2022-23 तक स्वीकृत/जारी की गई निधियां (लाख रुपये)**
1	आंध्र प्रदेश	1723.77
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3	असम	1744.67
4	बिहार	2190.44
5	छत्तीसगढ़	1405.51
6	गुजरात	3927.97
7	हरियाणा	949.97
8	हिमाचल प्रदेश	309.23
9	झारखंड	1880.27
10	कर्नाटक	4590.34
11	केरल	747.82
12	मध्य प्रदेश	5994.94
13	महाराष्ट्र	5411.06
14	मणिपुर	29.30

15	मेघालय	312.28
16	मिजोरम	39.45
17	नागालैंड	55.25
18	ओडिशा	3320.76
19	पंजाब	2342.11
20	राजस्थान	1704.10
21	सिक्किम	9.02
22	तमिलनाडु	1811.10
23	तेलंगाना	1331.31
24	त्रिपुरा	354.50
25	संघ राज्य क्षेत्र-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.21
26	संघ राज्य क्षेत्र-दादरा एवं नगर हवेली	45.24
27	संघ राज्य क्षेत्र-जम्मू और कश्मीर	686.15
28	संघ राज्य क्षेत्र-लद्दाख	0.00
29	संघ राज्य क्षेत्र-लक्षद्वीप	0.00
30	संघ राज्य क्षेत्र-पुदुचेरी	24.39
31	उत्तर प्रदेश	4846.20
32	उत्तराखंड	630.91
33	पश्चिम बंगाल	696.51
	कुल	**49136.78**

टिप्पणी: चूंकि आरएसईटीआई एक मांग आधारित कार्यकम है , इसलिए आवंटन नहीं किया जाता है